



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ

आरबीआई /2025-26/54

आईडीएमडी.आरडी. S390/10.18.060/2025-26

जून 12, 2025

सभी बाज़ार प्रतिभागी

महोदया/ महोदय,

राज्य सरकार प्रतिभूतियों में स्ट्रिपिंग/ पुनर्गठन

कृपया [07 अगस्त 2019 को घोषित विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य](#) के पैरा संख्या 1, जो संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से राज्य विकास ऋण¹ (एसडीएल) के लिए स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन सुविधा आरंभ करने के प्रस्ताव से संबंधित है, का संदर्भ ग्रहण करें।

2. विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श और बाजार प्रतिभागियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, राज्य सरकार प्रतिभूतियों (एसजीएस) में प्रतिभूतियों के पंजीकृत ब्याज और मूलधन की अलग-अलग ट्रेडिंग (स्ट्रिप्स) शुरू करने का निर्णय लिया गया है। यह केंद्र सरकार की पात्र दिनांकित प्रतिभूतियों में [1 अप्रैल, 2010](#) से अनुमति प्राप्त स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के अतिरिक्त होगा। आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 29 मई, 2025 की संबंधित अधिसूचना [संलग्न](#) है।

3. पात्र प्रतिभूतियाँ

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी सभी नियत कूपन प्रतिभूतियाँ जिनकी अवशिष्ट परिपक्वता 14 वर्ष तक है तथा स्ट्रिपिंग के दिन न्यूनतम बकाया ₹1,000 करोड़ है, बशर्ते कि ऐसी प्रतिभूतियों को सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) अपेक्षाओं की पूर्ति के उद्देश्य से पात्र निवेश के रूप में माना जाता है तथा वे हस्तांतरणीय हैं।

4. अनुरोध प्रस्तुत करना

(क) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास एसजीएल खाता रखने वाले बाजार प्रतिभागी स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर प्रणाली) में सीधे अनुरोध कर सकते हैं।

¹ राज्य विकास ऋण अब राज्य सरकार प्रतिभूति के रूप में जाने जाते हैं।

(ख) गिल्ट खाताधारकों द्वारा स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के लिए अनुरोध भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ सीएसजीएल खाता रखने वाले अपने संबंधित अभिरक्षकों के पास किया जाएगा और इसके उपरांत, अभिरक्षक, अपने घटकों की ओर से ई-कुबेर में अनुरोध करेंगे।

5. नामकरण

एसजीएस में स्ट्रिप्स के लिए आईएसआईएन और नामकरण, केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में स्ट्रिप्स के समान होगा। इस संबंध में एक उदाहरण [अनुबंध](#) में दिया गया है।

6. आरबीआई की [16 अक्टूबर, 2009](#) और [10 अप्रैल, 2018](#) की अधिसूचनाओं में निर्धारित सभी अन्य नियम और शर्तें, यथोचित परिवर्तन सहित, एसजीएस में स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन पर लागू होंगी। साथ ही, हमारे [25 मार्च, 2010](#) के परिपत्र और उसमें संदर्भित किसी अन्य परिपत्र में निहित सरकारी प्रतिभूतियों की स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन पर दिशानिर्देश, समय-समय पर यथासंशोधित, एसजीएस में स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन पर भी लागू होंगे।

7. एसजीएस में स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन इस परिपत्र की तिथि से प्रभावी होगा।

भवदीय,

(राकेश त्रिपाठी)

मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक: यथोक्त

ISIN for STRIPS

Structure:

I	N			M	M	Y	Y				
Country Code	Issuer type/State Code	Month and Year of maturity of the STRIP				Security type	Subsequent Strips/Series serial number		Checksum Digit		

Example of an SDL/SGS Principal STRIP maturing in June 2035:

I	N	Y	Y	0	6	3	5	P	0	1	
Country Code	Issuer type/State Code	Month and Year of maturity of the STRIP				Security type	Subsequent Strips/Series serial number		Checksum Digit		

Example of an SDL/SGS Coupon STRIP maturing in June 2035:

I	N	Y	Y	0	6	3	5	C	0	1	
Country Code	Issuer type/State Code	Month and Year of maturity of the STRIP				Security type	Subsequent Strips/Series serial number		Checksum Digit		

YY: Two-digit distinct code assigned to individual State/Union Territory.

Nomenclature for Coupon STRIPS in SGS

STNAMESGSDDMONYYYYC; where STNAME = State/UT Name, SGS=State Government Security, DDMONYYYY=date of maturity of the STRIPS and C=Coupon STRIP (Illustratively, a coupon STRIP generated from, say, 7.85% MAHARASHTRA SGS 2035 maturing on June 20, 2035, would be written as **MHSGS20JUN2035C**)

Nomenclature for Principal STRIPS in SGS

x.xx% STNAMESGSDDMONYYYYP; where x.xx% is the coupon of the parent security from which the principal STRIP has been generated, STNAME = State/UT Name, SGS=State Government Security, DDMONYYYY=date of maturity of the STRIPS and P=Principal STRIP (Illustratively, a principal STRIP generated from, say, 7.85% MAHARASHTRA SGS 2035 maturing on June 20, 2035 will be written as **7.85%MHSGS20JUN2035P**)